

# छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर

## CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL: RAIPUR

(Estd. on 26-2-2001 U/s 3 of the Chhattisgarh Ayurvedigyan Parishad Adhiniyam 1987, C.G. Govt. Adaptation order 2001)  
First Floor, Dr. Balmukund Sharma Clinic, Kankalipara, Near Nagar Nigam Ayurvedic Hospital, Raipur - 492001 (C.G.)

Tel. & Fax No. 0771-2543393

Email id: cg\_medicalcouncil@yahoo.co.in

क्रमांक सीजीएमसी/शिकायत/575/2022

रायपुर दिनांक:- 04 / 07 / 2022

### // आदेश //

उपरोक्तानुसार लेख है कि होपवेल हॉस्पिटल, मेन रोड कटोरा तालाब रायपुर छ.ग. के द्वारा राज्य नोडल एजेंसी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत पाँच माह के अंतराल में 275 स्पाइनल केनाल स्टीनोसीस के प्रकरणों की शल्यक्रिया की गई थी। जिसमें स्पाइन सर्जरी के 228 प्रकरणों के संबंध में राज्य नोडल एजेंसी रायपुर को एम.आर.आई. फिल्मस एवं एम.आर.आई रिपोर्ट्स की कॉपी प्रेषित किया गया था।

राज्य नोडल एजेंसी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के एम.आर.आई. फिल्मस एवं एम.आर.आई. रिपोर्ट्स की कॉपी को विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कराया गया। परीक्षण उपरांत प्राप्त जाँच में पाया गया कि स्पाइन सर्जरी के कुल 88 ऐसे प्रकरणों जिसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं होना स्पष्ट (31 प्रकरण) पाया है। एवं ऐसे प्रकरण जिनमें सर्जरी की आवश्यकता संदेहास्पद (57 प्रकरण) है, उक्त प्रकरणों की भुगतान राशि निरस्त कर दी गई थी।

राज्य नोडल एजेंसी के द्वारा दिनांक 11.12.2019 (इस कार्यालय को पत्र प्राप्त दिनांक 26.02.2019) में संबंधित चिकित्सको पर उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण को छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल में हस्तांतरित किया गया था।

1. कौंसिल के द्वारा पुनः जाँच कराये जाने पर पाया गया कि मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सको के द्वारा नहीं देखा गया है।
2. मरीजों को Non Specific कारणों से भर्ती किया गया एवं एम.आर.आई कराया गया।
3. एम.आर.आई. में मरीजों में Age related Changes थे, जो भर्ती के समय के लक्षणों से मैच नहीं करते हैं।
4. अधिकतर मरीजों में उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के अनुसार ऑपरेशन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

चिकित्सकीय शल्यक्रिया में अनियमितता पाये जाने एवं अकारण किये गये सर्जरी के संबंध में सामान्य सभा के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि (नेशनल मेडिकल कमीशन/मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के कोड ऑफ मेडिकल ऐथिक्स रेग्युलेशन 2002 की धारा 7.4 एवं 7.5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, डॉ. हर्षित गोयंका, डी.एन.बी. आर्थोपेडिक्स, एफ.एन.बी. स्पाइन सर्जन, पता H 21m Anupam Nagar, Beside TV Tower, Main Road, Shankar Nagar Raipur 492007 के छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल के पंजीयन क्रमांक (सी.जी.एम.सी 5717/2014 दिनांक 05.09.2014) को दिनांक 04.08.2022 से दिनांक 03.08.2023 तक एक वर्ष के लिए पंजीयन निलंबित किया जाता


M  
Dr. Anurag Gupta


Chatterjee  
Mishra


Ashu  
क्रमशः.....02


//2//


है। इस समयावधि में डॉ. हर्षित गोयंका, कोई भी चिकित्सकीय कार्य नहीं कर सकेंगे, यदि वह निलंबन की अवधि में चिकित्सकीय कार्य करते पाये जाते हैं तो नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। नेशनल मेडिकल कमीशन, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली 110077 में तीस दिनों के भीतर अपील प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल को सूचित करे, सूचित न करने की स्थिति में यह आदेश दिनांक 04.08.2022 से लागू मना जायेगा। डॉ. हर्षित गोयंका डी.एन.बी. आर्थोपेडिक्स, एफ.एन.बी. स्पाईन सर्जन, को आदेशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल के द्वारा जारी मूल पंजीयन प्रमाण पत्र (सीजीएमसी क्रमांक 5717/2014 दिनांक 05.09.2014) को परिषद् के कार्यालय में तत्काल अनिवार्य रूप से जमा करे। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् की पंजी में डॉ. हर्षित गोयंका के प्रविष्ट के स्थान पर निलंबन के विषय में अंकित किया जाता है।


  
(डॉ. श्रीकांत राजिमवाले)  
रजिस्ट्रार  
छ.ग. मेडिकल कौंसिल


  
(नीरज कुमार चनसोड) आई.ए.एस.  
अध्यक्ष  
छ.ग. मेडिकल कौंसिल


  
(डॉ. ललित शाह)  
सदस्य  
छ.ग. मेडिकल कौंसिल

  
(डॉ. महेश सिन्हा)  
सदस्य  
छ.ग. मेडिकल कौंसिल

  
(डॉ. राजेंद्र प्रसाद)  
सदस्य  
छ.ग. मेडिकल कौंसिल

  
(डॉ. अल्का गुप्ता)  
सदस्य  
छ.ग. मेडिकल कौंसिल

  
(डॉ. आशा जैन)  
सदस्य  
छ.ग. मेडिकल कौंसिल

  
(डॉ. यशवंतराव चन्द्रवंशी)  
सदस्य  
छ.ग. मेडिकल कौंसिल

पृ.क्रमांक सीजीएमसी/शिकायत/576/2022  
प्रतिलिपि:-

रायपुर दिनांक:- 04/07/2022

1. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, पॉकेट.14, सेक्टर-08, फेस 01 द्वाराका नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, संचालनायल स्वास्थ्य सेवायें, इंद्रावती भवन, तृतीय तल नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक चिकित्सा शिक्षा, पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. भवन परिसर रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त स्टेट मेडिकल कौंसिल की ओर सूचनार्थ।

//3//

7. समस्त स्टेट मेडिकल कौंसिल की ओर सूचनार्थ ।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं यह आपको आदेशित किया जाता है कि इस दौरान निलंबन किये गये चिकित्सक आपके जिले में चिकित्सकीय कार्य करते पाये जाने पर तुरंत उनके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करावें ।
9. संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
10. सचिव इंडिया मेडिकल ऐशोसियेशन, दिल्ली की ओर सूचनार्थ ।
11. सचिव इंडिया मेडिकल ऐशोसियेशन, छत्तीसगढ़ एवं समस्त जिला की ओर सूचनार्थ ।
- 12- डॉ. हर्षित गोयंका, डी.एन.बी. आर्थोपेडिक्स, एफ.एन.बी. स्पाईन सर्जन H 21m Anupam Nagar, Beside TV Tower, Main Road, Shankar Nagar Raipur 492007 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. स्टाक फाईल ।



(डॉ. श्रीकांत राजिमवाले)

रजिस्ट्रार

छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर